



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/275

दिनांक: 06.07.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/ सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत ड्रॉबैक या धारा 27 के तहत रिफंड की मंजूरी, जहां आयात शुल्क का भुगतान ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से किया गया हो - सीबीआईसी स्पष्टीकरण

संदर्भ: परिपत्र संख्या 30/2026 - सीमा शुल्क दिनांक 3 जुलाई, 2026।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत छूट या धारा 27 के तहत वापसी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, उन मामलों में जहां आयात शुल्क का भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से किया गया है।

मुख्य बिंदु:

नकद के बजाय पुनः क्रेडिट:

जहां आयात शुल्क का भुगतान ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से किया गया है, वहां स्वीकार्य छूट/वापसी नकद में नहीं बल्कि पुनः क्रेडिट के माध्यम से दी जाएगी।

RoDTEP/RoSCTL स्क्रिप्स के

लिए स्वीकार्य राशि IEC धारक के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पुनः जमा कर दी जाएगी और अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमा शुल्क (NT) दिनांक 23.09.2021 के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है।

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली (CAS) में आवश्यक कार्यक्षमता सक्षम होने के बाद सिस्टम महानिदेशालय द्वारा एक विस्तृत सलाह जारी की जाएगी।

पुरानी योजनाओं (एमईआईएस, एसईआईएस, आदि) के

मामले में, जहां इलेक्ट्रॉनिक री-क्रेडिट संभव नहीं है, सीमा शुल्क विभाग एक री-क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ताकि डीजीएफटी द्वारा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का पुनर्वैधीकरण किया जा सके।

ऐसे मामलों में छूट या धन वापसी के पात्र सदस्यों को अपने दावे दाखिल करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए, सदस्य संलग्न सीबीआईसी परिपत्र देख सकते हैं या परिषद से संपर्क कर सकते हैं।

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260707104409.pdf

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद